

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 182वीं बैठक दिनांक 28.06.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो० एच.एस.तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
10.	प्रो० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	प्रो० संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
12.	डॉ० बबिता माझी	सदस्य
13.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
14.	प्रो० भारती अहिरवार	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता-छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो० अनुराग चौहान, प्रभारी- अधिष्ठाता, कला विद्यापीठ	विशेष आमंत्रित
19.	प्रो० के.के. चंद्रा, प्रभारी-अधिष्ठाता, प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ	विशेष आमंत्रित
20.	प्रो० ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० ब्रजेश तिवारी
2. प्रो० एस.सी. तिवारी
3. डॉ० एस. श्वेता

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में यह बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत रूप से साधना के साथ एकाग्रता रखते हुए मेहनत करना पड़ता है। विश्वविद्यालय को उन्नति की ओर ले जाने के लिए सबका योगदान आवश्यक है और योगदान के लिए सभी सदस्यों के मन में उत्साह होना चाहिए। कुलपति महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विषय क्रमांक-4 में उल्लेखित न्यूनतम शुल्क को रुपये 05/- प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप पढ़ा जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. शोध विनियम 2023 के Scheduled 2 Para 4(d) पर पुनर्विचार विषयक।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शोध विनियम 2023 के सभी प्रावधानों का परीक्षण किया जाय एवं परीक्षण तथा पुनर्विचार हेतु समिति का गठन किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 04. बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी की अनुमति पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी की अनुमति संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पी.जी. पाठ्यक्रमों के क्रेडिट फेमवर्क पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पी.जी. पाठ्यक्रमों के क्रेडिट फेमवर्क को अंगीकृत किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट फेमवर्क के आधार पर अध्यादेश प्रारूपण हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 06. बी.टेक अध्यादेश क्रमांक-95 में प्रस्तावित संशोधन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.टेक अध्यादेश क्रमांक-95 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय। बी.टेक के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में भी इसी प्रकार के प्रावधान बनाये जाने हेतु एक समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 07. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 25.06.2024 के कार्यवृत्त पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 25.06.2024 के कार्यवृत्त, अनुशंसाओं एवं अकादमिक कैलेण्डर 2024-25 का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 08. बी.बी.ए. कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.बी.ए. कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।


28-06-2024


28/06/2024

विषय क्र. 09. चतुर्थ सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षाएँ आयोजित करने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छठवें सेमेस्टर के ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्हें चतुर्थ सेमेस्टर में भी किसी प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण एटीकेटी की परीक्षा देना है उन्हें इस हेतु एक अवसर प्रदान करते हुये ऐसे छात्रों की चतुर्थ सेमेस्टर की एटीकेटी की परीक्षाएँ भी यथा संभव दिनांक 06.07.2024 से 08.07.2024 तक आयोजित की जाय।

विषय क्र. 10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, ईपोक मेकिंग सोशल थिंक्स ऑफ इंडिया स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल केन्द्र एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर केन्द्र खोलने पर विचार।

निर्णय :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, ईपोक मेकिंग सोशल थिंक्स ऑफ इंडिया स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालय की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल केन्द्र एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 बैठक के दौरान अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में संचालित पाठ्यक्रमों के अकादमिक कैलेंडर 2024-25 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित अकादमिक कैलेंडर का अनुमोदन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव
28-06-2024


कुलपति/अध्यक्ष
28/06/2024